

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय प्रतापगढ़ (राज.)

-आदेश:-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक भर्ती वर्ष 2018 में चयनित पृष्ठांकित अभ्यार्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-।/12102/प्र.शा.स ग्रेड गा/सी०भ०/2017-18 दिनांक 01.08.2020 द्वारा नॉन टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाकर पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देशों की पालना में निम्नांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक के पद पर उनके नाम के समुख अंकित विद्यालय में रपष्ट रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनर्निक्षित वेतन मान) नियम 2017 के अनुसार पै मेट्रिक्स में लेवल L-8 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार दैय नियत मानदेय 18500 अक्षरे अठारह हजार पाँच सौ रु (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर काउसलिंग के दौरान आशार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक :-प 8(1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजना अन्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :-

- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधित सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अमाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1) डी०ओ०पी०/ए-॥/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यार्थियों से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
- विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागु होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
- आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिया जाने का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
- राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता सम्बन्धित जॉच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से 50/- रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक अथवा प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य या मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेज से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर ही जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण कराया जावे।

०९।०८।२०२०
लगातार-२

8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र चस्पा छांसाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
9. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एतदविषयक प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय/ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन , विभिन्न याचिकाओं , अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए की गई है ।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवम् आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रूप से कर लेवें। संबंधित आशार्थीयों का पदस्थापन परामर्श शिविर में आशार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर किया गया है।
11. इन कार्मिकों को परीविक्षाणीन प्रशिक्षण अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते, महंगाई भत्ते, महंगाई वेतन, मकान किराया भत्ता, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे। परिविक्षणाधीन अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधार्यी निधि, की कटौतिया नियमानुसार नहीं होगी।
12. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफ12(9)एफडी (लल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन द्वेषी के फिक्स रेमुनरेशन से पेशन अंशदान की कटौती नियमानुसार करनी होगी।
13. आशार्थी के परीविक्षणाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
14. परीविक्षणाधीन अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुद्घान दी जावेगी।
15. पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करते समय निम्न अभिलेख सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
 - सक्षम चिकित्साधिकारी का स्वारूप प्रमाण पत्र
 - योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका की सत्यापित प्रतियाँ
 - पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
 - आवेदक द्वारा दहेज न लिए जाने का स्व घोषणा पत्र
 - आवेदक द्वारा धूमपान/मद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व घोषणा पत्र।
16. इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 18.08.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवं सकल दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

७८०६/२०२०
(किशनलाल काली)

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

क्रमांक:- जिशिअमु/माध्य/प्रताप/संस्था/20-21/

७८

दिनांक :- ४.४.०२०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर ।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. श्रीमान शासन उप सचिव (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
4. श्रीमान शासन उप कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
5. श्रीमान सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर ।
6. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर ।
8. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा प्रतापगढ़ ।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
10. संबंधित संस्था प्रधान ।
11. सिस्टम ऐनालिस्ट निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को वैबसाईट पर अपलोड हेतु ।
12. संबंधित आशार्थी ।
13. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा ।
14. रक्षित पत्रावली

८८०८/२०२०
(जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 नियुक्ति आदेश नं० टीएसपी हीन
क्रमांक-जिलिया/माध्यम/प्रताप/संस्था/प्रशा.सहा.ग्रेड-III/नियुक्ति/2020-21/

718

दिनांक 08.08.2020

S.NO	Merit	ROLLNO	NAME	FNAME	DOB	GENDER	Sel_Cat	Address	पदस्थापित विद्यालय	आशार्थी का फोटो
1	607	465751	ANIL KUMAR	BALVANTA RAM	20-Aug-98	Male	OBC	VILL-JOGAUPOST-THOBAUTEH-BHINMAL District-JALORE State-Rajasthan	HARISH ANJANA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL CHHOTISADRI (224800), CHHOTI SADRI (08331201001)	
2	714	216025	SURAJ DARIYA	PANNA RAM DARIYA	01-Jun-92	Male	OBC	VPO - JAWLAVIA DEGANATEH - PARBATSAR District-NAGAUR State-Rajasthan	GULAB CHAND MEWADI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHHOTISADRI (224827), CHHOTI SADRI (08331217801)	
3	1019	420207	MOHAN LAL GURJAR	GIRRAJ PRASAD GURJAR	05-Jun-98	Male	MBC	WARD NO 8 GURAR MOHALLAVILL-ANDHOLI POST-BHEDOLATEH-CHOUTH KA BARWARA District-SAWAIMADHOPUR State-Rajasthan	GOPIBAI BHERULAL BHURIYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KESUNDA (224813), CHHOTI SADRI (08331209101)	

08/08/2020
(किशनलाल काली)

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय प्रतापगढ़ (राज.)

—आदेश—

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रूखला बीकानेर के पत्रांक :— शिविरा/माध्य/संरथा/एफ-1/12102/प्रश्ना.स ग्रेड गा/सी०भ०/2017-18 दिनांक 01.08.2020 द्वारा नॉन टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाकर पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देशों की पालना में निम्नांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रूखला प्रयोगशाला सहायक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतन मान) नियम 2017 के अनुसार पै मेट्रिक्स में लेवल L-8 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परिविकाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार दैय नियत मानदेय 18500 अक्षरे अठारह हजार पाँच सौ रु (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर काउसलिंग के दौरान आशार्थी की अनुपस्थिति के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक :—प 8(1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजना अन्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :—

- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधित सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अमाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1) डी०ओ०पी०/ए-ग/९५ दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यार्थियों से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
- विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागु होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
- आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिया जाने का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
- राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता सम्बन्धित जॉच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से 50/- रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक अथवा प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य या मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेज से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई मिल स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजावायी जावें।
- अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर ही जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजावायी जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र चर्चा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करें, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चर्चा

लगातार-2

४०४१८०

9. चयनित अन्यर्थियों की नियुक्ति एतदविषयक प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय/ न्यायालयों में विद्याराधीन, विभिन्न याचिकाओं, अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए की नहीं है।
10. कार्यग्रहण करने से पूर्व आशार्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जाव आवश्यक रूप से कर लेवें। संबंधित आशार्थीयों का पदस्थापन परामर्श शिविर में आशार्थी के अनुपस्थित रहने के आधार पर किया गया है।
11. इन कार्मिकों को परीविक्षाणाधीन प्रशिक्षण अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते, महंगाई वेतन, मकान किराया भत्ता, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे। परिविक्षणाधीन अवधि में राज्य बीमा सामान्य प्रावधार्यी निधि, की कटौतिया नियमानुसार नहीं होगी।
12. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:— एफ12(9)एफडी (खल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोवेशन द्विनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेशन अंशदान की कटौती नियमानुसार करनी होगी।
13. आशार्थी के परीविक्षणाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
14. परीविक्षणाधीन अवधि में इन्हें कलेप्डर वर्ष में 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेप्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुज्ञा दी जावेगी।
15. पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करते समय निम्न अभिलेख सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
- सक्षम चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
 - योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका की सत्यापित प्रतियां
 - पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
 - आयेदक द्वारा दहेज न लिए जाने का स्व घोषणा पत्र
 - आयेदक द्वारा धमपान/मद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व घोषणा पत्र।
16. इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 18.08.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

S.NO	Merit	NAME	FNAME	DOB	GENDER	Sel_Cat	Address	पदस्थापित विद्यालय	
1	733	NAVEEN KUMAR SAINI	SHRI CHAND SAINI	21-11-96	Male	OBC	VILL-DHANDHELA	GSSS Karju	
2	4095	FATTERAM	BHOOPRAM	10-12-97	Male	SC	VILLAGE-DHILAWATIPOST-DHILAWATITEH-KAMKAN District-BHARATPUR State-Rajasthan	GSSS KARUNDA	

(किशनलाली काली) १८/०८/२०२०
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

क्रमांक:— जिशिअम्/माध्य/प्रताप/संस्था/20-21/ ७९०

दिनांक :— ४-४-०२०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान शासन उप सचिव (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान शासन उप कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर।
6. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर।
8. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा प्रतापगढ़।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
10. संबंधित संस्था प्रधान।
11. सिस्टम ऐनालिस्ट निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. संबंधित आशार्थी।
13. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
14. सक्षित पत्रावली

०८/०४/२०२०
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय प्रतापगढ़ (राज.)

-आदेश:-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक भर्ती वर्ष 2018 में चयनित पृष्ठांकित अभ्यार्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक :— शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-ए/12102/प्रशा.स ग्रेड गा/सी०८०/2017-18 दिनांक 01.08.2020 द्वारा टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाकर पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देशों की पालना में निम्नांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतन मान) नियम 2017 के अनुसार पै मेट्रिक्स में लेवल ८-८ में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार दैय नियत मानदेय 18500 अक्षरे अठारह हजार पाँच सौ रु (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर काउसलिंग के दौरान आशार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक —प ८(१) कार्मिक/क-२/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजना अन्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे—

- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधित सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक ७(१) डी०ओ०पी०/ए-गा/९५ दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यार्थियों से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या २ से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र ५०/- रुपये के नौन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
- विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागु होने से पुर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का शपथ पत्र ५०/- रुपये के नौन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
- आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिया जाने का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
- राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता सम्बन्धित जॉच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से ५०/- रुपये का नौन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक अथवा प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य या मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेज से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावें।
- अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर ही जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्यग्रहण कराया जावे।

लगातार—२
०८|०८|१८८०

8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र चस्पा छायाचित्र (फोटो) से निलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करें, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
9. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एतदविषयक प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय / विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन , विभिन्न याचिकाओं , अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए की गई है ।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवम् आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जॉच आवश्यक रूप से कर लेवे। संबंधित आशार्थीयों का पदस्थापन परामर्श शिविर में आशार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर किया गया है।
11. इन कार्मिकों को परीविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते, महगाई भत्ते, महगाई वेतन, मकान किराया भत्ता, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे। परिविक्षणाधीन अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधार्यी निधि, की कटौतिया नियमानुसार नहीं होगी।
12. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफ12(9)एफडी (रुल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोवेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार करनी होगी।
13. आशार्थी के परीविक्षणाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
14. परीविक्षणाधीन अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुज्ञा दी जावेगी।
15. पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करते समय निम्न अभिलेख सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
 - सक्षम चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
 - योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका की सत्यापित प्रतियां
 - पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
 - आवेदक द्वारा दहेज न लिए जाने का स्व घोषणा पत्र
 - आवेदक द्वारा धुमपान/मद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व घोषणा पत्र।
16. इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 18.08.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा , उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवम् ब्लाला दर्पण पर हनकी सूचना अपडेट करें ।

०८।०८।२०२०
(किशनलाल कीली)

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

४/७/१-२] दिनांक :- ४-४-०२०

क्रमांक:- जिशिअमु/माध्य/प्रताप/संस्था/20-21/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर ।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. श्रीमान शासन उप सचिव (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
4. श्रीमान शासन उप कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
5. श्रीमान सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर ।
6. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर ।
8. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा प्रतापगढ़ ।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
10. संबंधित संस्था प्रधान ।
11. सिस्टम ऐनालिस्ट निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को वैबसाईट पर अपलोड हेतु ।
12. संबंधित आशार्थी..... ।
13. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा ।
14. रक्षित पत्रावली

०८।०८।२०२०
(किशनलाल कीली)

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-111 संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 नियुक्ति आदेश टीएसपी हैत्र
क्रमांक-जिलिया/माध्यम/प्रताप/संस्था/प्रशासनालय-111/नियुक्ति/2020-21/ ७१७ [१-२] दिनांक 08.08.2020

S.NO	Merit	ROLLNO	NAME	FNAME	DOB	GENDER	SEL_Cat	Address	पदस्थापित मिशनालय	आशार्ही का फोटो
1	5602	165938	VANDANA PATIDAR	LAXMINARAYAN	12-Jul-98	Female	GEN	PANMODIPANMODIPANMODI District-Pratapgarh State-Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL THADA (224848), PRATAPGARH (08331316805)	
2	7864	166000	ANJALI TELI	PRAKASH CHANDRA SAHU	24-Sep-99	Female	GEN	ANNAPURNA MANIDR KE PAASGOMANA DARWAJACHHOTI SADRI District-Pratapgarh State-Rajasthan	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KILA ROAD (217788), PRATAPGARH (08331371762)	
3	2695	167756	INDERMAL KUMAWAT	PANNA LAL KUMAWAT	01-May-95	Male	GEN	VILLAGE JHANSARI POST JHANSARITEHSIL PRATAPGARH District-Pratapgarh State-Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KULTHANA (224833), PRATAPGARH (08331309201)	
4	2888	168866	SUDHIR LOHAR	RAMESH LOHAR	14-Nov-99	Male	GEN	VILLAGE -KUNIPOST-KUNIPRATAPGARH District-Pratapgarh State-Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SUHAGPURA (224757), PEEPALKHOOT (08330224401)	

०८।०८।२०२०
(किशनलाल काली)

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-11। संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 नियुक्ति आदेश टीएसपी केंद्र

क्रमांक-जिशिअ/माध्यम/प्रताप/संस्था/प्रशासन/ग्रेड-11/नियुक्ति/2020-21/

७१७ [१-२]

दिनांक 08.08.2020

S.NO	Merit	ROLLNO	NAME	FNAME	DOB	GENDER	Sel_Cat	Address	पदस्थापित विद्यालय	आशार्थी का फोटो
6	3255	169363	RAHUL GAYARI	JAGDISH LAL GAYARI	11-Jun-00	Male	GEN	Gayari mohalla Ward no.9 District-Pratapgarh State-Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BARAVARDA (224843), PRATAPGARH (08331314601)	
7	3491	169329	ANUP BHARADIA	DINESH BHARADIA	06-Dec-96	Male	GEN	GANESH GALI District-Pratapgarh State-Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAREL (224768), DHARIYAWAD (08331111401)	
8	3814	168221	SUMIT SHARMA	RAJESH SHARMA	27-Apr-94	Male	GEN	VILLEGE & POST SAMERTHALITEH, CHOTI SADRI, DISTT. PRATAP GARTH District-Pratapgarh State-Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NAKOR (217784), PRATAPGARH (08331334706)	
9	4334	169296	BHUPENDRA VASI	NANURAM	15-Apr-93	Male	GEN	VILL- NAD (NEAR COLONY)POST- LODIYA, VIA- PAR SOLATEH- DHARIYAWAD District-Pratapgarh State-Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAR SOLA (224775), DHARIYAWAD (083311114501)	
10	4650	169640	HIMANSHU KUMAWAT	BHANWARLAL KUMAWAT	08-Feb-00	Male	GEN	Vpo-KanadTh-arnodDiss-pratapgarh District-Pratapgarh State-Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAJLI (217798), ARNOD (08331404701)	

(किशनलाल कोली)

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय प्रतापगढ़ (राज.)

-आदेश:-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक भर्ती वर्ष 2018 में चयनित पृष्ठाकित अभ्यार्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक :— शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/प्रशा.स ग्रेड आ/सी०म०/2017-18 दिनांक 01.08.2020 द्वारा टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाकर जदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देशों की पालना में निम्नांकित अशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतन मान) नियम 2017 के अनुसार पै मेट्रिक्स में लेवल ८-८ में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार दैय नियत मानदेय 18500 अक्षरे अठारह हजार पाँच सौ रु (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर काउसलिंग के दौरान आशार्थी की अनुपस्थिति के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक :—प 8(1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :—

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधित सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1) डी०ओ०पी०/ए-॥/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यार्थियों से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के कलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रूपये के नौन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
3. विवाहित अभ्यार्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागु होने से पुर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रूपये के नौन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
4. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिया जाने का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक एवं प्रशेक्षिक योग्यताओं की वैद्यता सम्बन्धित जॉच विभाग स्तर पर करवाई जानी शोष है, अतः जिन अभ्यार्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक एवं प्रशेक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक एवं प्रशेक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से 50/- रूपये का नौन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक अथवा प्रशेक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेज से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावें।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर ही जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र चस्पा छांयाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करें, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।

लगातार-2

9. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एतदविषयक प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय / विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन , विभिन्न याचिकाओं , अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए की गई है ।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रूप से कर लेवें । संबंधित आशार्थीयों का पदस्थापन परामर्श शिविर में आशार्थी के अनुपस्थित रहने के आधार पर किया गया है ।
11. इन कार्मिकों को परीविक्षणाधीन प्रशिक्षण अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते, महगाई भत्ते, महगाई वेतन, मकान किसाया भत्ता, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे । परिविक्षणाधीन अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधारी निधि, की कटौतिया नियमानुसार नहीं होगी ।
12. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफ12(9)एफडी (लल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन देनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेशन अंशदान की कटौती नियमानुसार करनी होगी ।
13. आशार्थी के परीविक्षणाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।
14. परीविक्षणाधीन अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुज्ञा दी जावेगी ।
15. पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करते समय निम्न अभिलेख सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा ।
- सक्षम विकित्साधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
 - योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अक तालिका की सत्यापित प्रतियां
 - पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
 - आवेदक द्वारा दहेज न लिए जाने का स्व घोषणा पत्र
 - आवेदक द्वारा धूमपान/मद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व घोषणा पत्र ।
16. इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 18.08.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा , उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा । इनकी कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें ।

NO	Merit	NAME	FNAME	DOB	GENDER	Sel_Cat	Address	पदस्थापित विद्यालय	आधिकारी का फोटो
1	9061	NAND KISHOR JATIYA	VIRAM LAL	29-Dec-96	Male	SC	VILL / POST - KAJLI KHEDA TH./DIS. - PRATAPGARH District- Pratapgarh State- Rajasthan	GSSS Pipalkhund	

क्रमांक:- जिशिअमु/माध्य/प्रताप/संस्था/20-21/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर ।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. श्रीमान शासन उप सचिव (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
4. श्रीमान शासन उप कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
5. श्रीमान सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर ।
6. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर ।
8. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा प्रतापगढ़ ।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
10. संबंधित संस्था प्रधान ।
11. सिस्टम ऐनालिस्ट निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को वैबसाईट पर अपलोड करें ।
12. संबंधित आशार्थी ।
13. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा ।
14. रक्षित पत्रावली

(किशनलाल कोली) ०८०८०२०२०
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

दिनांक :- ०८.०८.२०२०

८/९

८/९

०८.०८.२०२०
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़